न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:—5/16

1. हरीसिंह
2. भोलीराम
3. शिब्बो
4. सूका
5. बाबूलाल

पुत्रान वेनीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

6.महादेई वेवा रामचरन

7. रमेश
8. दिनेश

पुत्रान रामचरन जाति ब्राहमण निवासी मिलकपुर तहसील बयाना

9. भौती पत्नि महीलाल जाति मीणा निवासी मिलकपुर तहसील बयाना

—— प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट राजस्थान तामील जरिये तहसीलदार, तहसील बयाना

—— अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 112, 128, 131, 136 एल.आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 5/12/2025

उपस्थितिः— श्री वेदप्रकाश शर्मा एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 112, 128, 131, 136 एल. आर एक्ट निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर नया 1458 रकवा 19 ऐयर वाकें ग्राम मिलकपुर तहसील बयाना में स्थित है जिसके कि प्रार्थी सं. 1, 1/7 भाग, प्रार्थी सं. 2, 1/7 भाग, प्रार्थी सं. 3, 1/7 भाग, प्रार्थी सं. 4, 1/7 भाग, प्रार्थी सं. 5, 1/7, प्रार्थी सं. 6 लगायत 8, 1/7 भाग व प्रार्थी सं. 9, 1/7 भाग के खातेदार, काश्तकार व काबिज आराजी है उक्त आराजी खसरा नम्बर नया 1458 रकवा 19 ईअर सैटलमेंट से पूर्व पुराने खसरा नं0 647 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा से बना है उक्त के प्रार्थीगण सम्पूर्ण रकवा 19 ऐयर के मालिक व काबिज है उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 की पुस्तैनी सम्पत्ति है व प्रार्थी सं. 9 ने उक्त आराजी के रकवा 1/7 भाग को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा चूरामन से कय किया है जिस पर प्रार्थीगण अपने 1/7, 1/7 भाग पर संवत् 2012 से पूर्व से लेकर आज तक मालिक व काबिज है मौके पर उक्त खसरा नम्बर का एक ही रकवा कायम है सैटलमेंट दौरान राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व मौका के व बिना किसी अधिकार के व मनमाने तरीके से व सहवन से उक्त खसरा नम्बर पुराने 647 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा की भूमि को नक्सा ट्रेंस में गलत नक्सा

बना दिया जबकि जमाबन्दी व अन्य राजस्व अभिलेख में रकवा 1 बीघा 3 विस्वा का रकवा 19 ऐयर तो सही बना दिया लेकिन 19 ऐयर का नक्सा ट्रेस में उक्त रकवे 19 ऐयर का नक्सा बनाने की जगह पर खसरा नम्बर 1458 का कुल रकवा चारों दिशाओं के क्षेत्रफल को मिलाकर 8.80 ऐयर का बना दिया व 19 ईअर में से रकवा 10.20 ऐयर की भूमि को गायब कर दिया जबकि प्रार्थीगण रकवा 19 ईअर के मालिक व काबिज है पुराने खसरा नम्बर 647 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा का नया नम्बर 1458 रकवा 19 ऐयर तो सही दर्ज कर दिया लेकिन नक्सा ट्रेस में 19 ऐयर का खेत न बनाकर 19 ऐयर की जगह 8.80 ईअर का खेत बना दिया नक्सा ट्रेस में आज जो 1458 का क्षेत्रफल है वह इस प्रकार है तरफ पूर्व 80 मीटर तरफ पश्चिम 80 मीटर तरफ दक्षिण 12 मीटर तरफ उत्तर 10 मीटर इस प्रकार उक्त रकवा 80 गुणा 11 करने पर 880 वर्ग मीटर आता है जो ऐयर में फलाने पर 8080 ऐयर बैठता है इस प्रकार राजस्व नक्सा ट्रेस में रकवा 10.20 ऐयर क्षेत्रफल ही गायब कर दिया और गलत तरीके से 1458 की भूमि को नक्सा ट्रेस में खसरा नम्बर 1459 की भूमि बना दिया व खसरा नम्बर 1459 को भी गलत तरीके से पुराने खसरा नम्बर 147 का बता दिया जबकि उस जगह पर कोई भी खसरा नम्बर 147 की राजकीय भूमि नहीं थी और न ही उसका खसरा नम्बर 1459 के नाम से बताई गयी नक्सा ट्रेस की कोई भूमि है उक्त 1459 की बताई गयी भूमि कतई खिलाफ कानून व मौका के है इस गलत इन्द्राज के आधार पर पटवारी हल्का व गिरदावर न गांव के अन्य लोगों से साज कर लिया है और मोटी रकम लेकर गलत इन्द्राज के आधार पर अन्य लोगों को रास्ता दिलाने को मोटी रकम लेकर ठेका ले लिया है पटवारी हल्का, गिरदावर व तहसीलदार बयाना अवैध पारितोषण लेकर पद का दुरुपयोग कर रहे है व प्रार्थीगण को वेदखल करने की धमकी दे रहे है उक्त गलत नक्सा ट्रेस के अकेन से प्रार्थीगण को गलत नाजायज व तंग किया जा रहा है व प्रार्थीगण को सख्त हमतल्फी है उक्त नक्शा ट्रेस का शुद्ध कराया जाना व रकवा 19 ईअर पूरा कराया जाना न्याय के हित में आवश्यक है

अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 1458 रकवा 19 ईअर के नक्सा ट्रेस में 8.80 ऐयर के अशुद्ध रकवा को रकवा 19 ऐयर खसरा नम्बर 1459 के नाम पर दर्शाये नक्सा ट्रेस के क्षेत्रफल को समाप्त कर सम्पूर्ण रकवा 19 ऐयर का बनायें जाने व नक्सा ट्रेस में अंकन कराये जाने व नक्सा ट्रेस में 19 ऐयर का क्षेत्रफल शुद्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बयाना को रिकार्ड व मौके बाबत रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने रिपोर्ट क्रमांक / LR / 16 / 3671 दिनांक 07.09.2016 तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ख0न0 1458 रकवा 0.19 है0 वेदप्रकाश वगै0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है नक्शे में उक्त ख0न0 के पश्चिम में ख0न0 1475 रकवा 0.40 है0 गै0मु0 सडक है जिसका नक्शे के मुताबिक क्षेत्रफल निकालने पर करीब 0.36 है0 बनता है जो कि 0.04 है0 कम है इसी प्रकार ख0न0 1459 रकवा 0.14 है0 गै0मु0 सडक है जिसका नक्शे के हिसाब से क्षेत्रफल निकालने पर क्षेत्रफल करीब 0.04 है0 ही बैठता है जो कि मूल क्षेत्रफल से 0.10 है0 कम बैठता है तथा ख0न0 1457 रकवा 0.09 है0 जिसका नक्शे से क्षेत्रफल 0.15 बैठता है जो कि मूल क्षेत्रफल से 0.06 है0 अधिक बैठता है तथा इस ख0न0 में वर्तमान में पक्का

मकान दक्षिण की तरफ तथा उत्तर ओर पाटौर मय चार दीवारी पक्की बनी हुई है वर्तमान में प्रार्थीगण ख0न0 1457/0.09 है0 1458/0.19 है0 तथा 1459/0.14 है0 पर कब्जा है। मौके पर उक्त रकबा 0.15 है0 लगभग पर कब्जा किया हुआ है उक्त ख0न0 की उत्तर दिशा की तरफ खाली है जिसमें मकान आदि नहीं बने हुए है पश्चिम में पक्की सडक बनी हुई है तथा दक्षिण दिशा में पक्के मकान बने हुए है अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुए ख0न0 1458 में नक्शा में शुद्ध किया जाना सम्भव नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2069-72, भू प्रबन्ध विभाग की खातौनी (जमाबन्दी) सम्वत 2051-70, नक्शा ट्रेस तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट क्रमांक/LR/16/3671 दिनांक 07.09.2016 आदि का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार बयाना की उक्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर चाही गई शुद्धि किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक....5/12/2025....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना